(च) वैसे सरकारी, कर्मी जिन्होंने पूर्व के निर्णय के आलोक में LTC सुविधा का उपभोग किया है, वे भी इस प्रावधान के अधीन छुट्टी यात्रा रियायत की सुविधा का उपभोग कंडिका–4(क) के अध्यधीन कर सकेंगे।

(छ) छुट्टी यात्रा रियायत (एल०टी०सी०) की सुविधा राज्य सरकार के अधीन वैसे सरकारी सेवकों को अनुमान्य होगी, जो यात्रा प्रारम्भ करने की तिथि को एक वर्ष की लगातार सेवा पूरी कर चूके हैं, यदि अनधिकृत गैर हाजिर या अन्य कारण से सेवा भंग हुई हो और उसे माफ नहीं किया गया हो, तब उसे एक वर्ष की लगातार सेवा में भीं भंग होना माना जायेगा।

5.(i) LTC के लिये ब्लॉक वर्ष की गणना निम्न प्रकार की जायेगी :–

2006–09, 2010–13, 2014–17......................(ब्लॉक वर्ष की गणना कलेन्डर वर्ष 2006 से प्रारम्भ की जायेगी)। एक ही कलेन्डर वर्ष में LTC एवं HTC दोनों की सुविधा अनुमान्य नहीं होगी।

(ii) LTC के तहत एक ब्लॉक की रियायत अगले ब्लॉक के पहले वर्ष के आखिर तक ली जा सकती है, जैसे ब्लॉक वर्ष 2010–13 के लिए अनुमान्य LTC के तहत यात्रा दिनांक 31.12.2014 तक शुरू की जा सकती है। वापसी यात्रा इस सीमा के बाहर होगी।

6. छुट्टी यात्रा रियायत (LTC) का उपभोग करने वाले सरकारी सेवक के नियंत्री पदाधिकारी का दायित्व होगा कि उनके सेवा इतिहास/सेवापुस्त में इस बात की प्रविष्टि कर दिया जाय कि संबंधित सरकारी सेवक द्वारा उक्त का उपभोग किया गया है।

7. यह आदेश निर्गत की तिथि से प्रभावी होगा।

8. वित्त विभागीय संकल्प संख्या 6857/वि० दिनांक 13.11.1987 के द्वारा निर्गत लीव ट्रेवल कन्सेशन नियमावली, 1986 में मौजूद प्रावधान एवं समय–समय पर निर्गत सभी पत्रों/परिपत्रों/संकल्प में अंकित प्रावधानों को इस हद तक संशोधित समझा जायेगा तथा शेष शर्त्तें यथावत् लागू रहेंगे।

9. वित्त विभाग के संकल्प संख्या 4252/वि०(2), दिनांक 22.06.2000 एवं वित्त विभागीय संकल्प संख्या 742/वि० दिनांक 23.03.2006 द्वारा लागू HTC सुविधा पूर्व की भाँति यथावत् लागू रहेंगे तथा इस निमित्त वित्त विभाग के संकल्प संख्या 2668/वि० दिनांक 04.08.2009 एवं संकल्प संख्या 1508/वि० दिनांक 18.06.2013 द्वारा स्वीकृत दरें प्रभावी रहेंगे।